वाद सं० 62 सन 2015 सुखदेव सिंह आदि / नोलाराम आदि

तारीख हुक्म	दावा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी
	[illegible]	
2/1/18	आज यह पत्रावली प्रतिवादी न०1 नोलाराम जरिए अभिभाषक श्री अमरीक-सिंह एड० द्वारा प्रार्थना-पत्र 09 R13 CPC पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 13 C.P.C. पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही को खारिज कर जवाब देने का मौका दिया जावे। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करने में अभिभाषक वादी ने सहमति प्रकट की गई है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी न०1 के विरुद्ध की गई कार्यवाही मनसूख की जाती है। प्रतिवादी न०1 ने जवाब दावा मय काउन्टर पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी न०1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने पर वादीगण को कोई एतराज नहीं है। तहसीलदार, हनुमानगढ़ से तजवीज तकसीम की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा तहसीलदार (R) संगरिया से तजवीज तकसीम रिपोर्ट प्राप्त हुई	

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

लाराम भा...

वाद सं० 62 सन् 2015 सुखदेव सिंह आदि । नोलाराम आदि
धारा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जो शामिल की गई। पुकुलाए पार्टियों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष ने मुताबिक तजबीज तक्सीम रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किए जाने हेतु तर्क प्रस्तुत किया। अतः प्राप्त तजबीज तक्सीम रिपोर्ट अनुसार वाद वादी डिक्री किए जाने से किसी पक्ष को आपत्ति नहीं होने से अन्तिम डिक्री किया जाता है मुताबिक तक्सीम रिपोर्ट वादीगण सुखदेव सिंह, लाहोर सिंह, काश्मीर सिंह पि० बीरबल राम जाति मजहबी निवासी फतेहगढ़ के पास चक नं० 5 L.L.W. के खाता नं० 22/26 की 2.455 हैं० भूमि में से चक नं० 5 L.L.W. के प० नं० 148/215(5) कि० नं० $\frac{5-6}{.506}$ म० नं० 147/214 (5) कि० नं० $\frac{17}{.051}$ कुल 0.557 हैं० नहरी भूमि रहेगी। शेष यथावत रहेगी। इसी प्रकार चक नं० 3 L.L.W. के प० नं० 148/216(24) कि० नं० $\frac{2}{.253}$, $\frac{5-6}{.506}$ कुल 0.759 हैं० भूमि रहेगी। प्रतिवादी नं० 1 नोलाराम पुत्र जियाराम जाति मेघवाल निवासी 7 ए.डी. वाई रावला तहसील कोलायत जिला बीकानेर के पास चक नं० 3 L.L.W. के प० नं० 148/216 (24) कि० नं० 11 की .253 हैं० भूमि रहेगी। शेष यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाता	

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

वाद संख्या 62 सन् 2015 सुखदेव सिंह आदि
बनाम नोलाराम आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... जो इस हु... में ...
	व लगान अलग-अलग कायम किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण। प्रतिवादीगण स्वयं अपना-2 वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से नाम की जाकर बाद तरतीबतकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner